

Subject: Online implementation of NFSM-Pulses for the year 2019-20.

- 1. Section in which Scheme is activated:** Crop Demonstration | प्रदर्शन प्लांट
- 2. Scheme Name:** National Food Security Mission – Pulses | राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन –दलहन
- 3. Program Name which needs to be activated:**
Demonstrations on Improved Technologies-Lentil | उन्नत तकनीक पर प्रदर्शन प्लाट—अरहर
- 4. Financial Year:** 2019-20
- 5. Start Date:** 14.10.2019
- 6. End Date:** 25.11.2019
- 7. Total Area Allocated (In are):** 350acre
- 8. Unit (Area Unit):** Acre .
- 9. Total Fund Allocated (INR):** Rs. 12.6 lakh
- 10. Assistance:** Rs. 3600/- per acre.
- 11. Max Area Limit:** 1 Hactare (2.5 Acres)
- 12. Extend Days (if any optional)**
- 13. Guidelines (PDF only):**
 1. एक किसान को अधिकतम 1 हैक्टेयर (2.5 एकड) का लाभ दिया जाएगा।
 2. 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
 3. किसान हरियाणा बीज विकास निगम के विक्रय केन्द्र से बीज खरीदेगा व अन्य प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री (बीज के अतिरिक्त) भूमि सुधार विकास [निगम/हरियाणा](#) बीज विकास निगम/सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
 4. स्कीम का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के लिए निम्न शर्त अनिवार्य है:—
 1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होना चाहिए।
 2. फसल अवशेष जलाने का दोषी न हो।
 3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
 4. सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने वाले को वरियता दी जाएगी।
- 14. Notifications (PDF only)**
- 15. Certificate required (if any Certificate is required from farmer for applying this scheme):**
Aadhaar Card, Voter Card, Pan Card, Bank detail and Mobile Number.
- 16. Activation date with time.**
- 17. Is there any limit on application coming from farmer side**
Yes provide amount or percentage.

**District Wise, Block wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses (LENTIL Demonstrations on improved technology)
Assistance of Rs. 3600/ acre for 2019-20 (Area in Acre & Rs. In lakh)**

Sr No	Distt	Block	General Category		SC Category		Total of 30% women farmers		Total of 33% Small & Marginal farmer		Total Target	
			Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target
1	Jhajjar	Jhajjar	3	0.108	4	0.144	6	0.216	7	0.252	20	0.72
		Beri	3	0.108	4	0.144	6	0.216	7	0.252	20	0.72
		Salhavas	3	0.108	4	0.144	5	0.18	6	0.216	18	0.648
		Matanhail	3	0.108	4	0.144	5	0.18	6	0.216	18	0.648
		Bahadurgarh	3	0.108	4	0.144	5	0.18	6	0.216	18	0.648
	Total		15	0.54	20	0.72	27	0.972	32	1.152	94	3.384
2	Palwal	Palwal	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Hodal	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Hathin	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Hassanpur	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Total	12	0.432	16	0.576	16	0.576	20	0.72	64	2.304
3	Rohtak	Rohtak	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Sampla	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Kalanour	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Meham	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		lakhanmajra	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Total	15	0.54	20	0.72	20	0.72	25	0.9	80	2.88
4	Sonipat	Sonipat	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Rai	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Kharkhoda	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Gannaur	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Mundlana	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Kathura	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Gohana	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Total	21	0.756	28	1.008	28	1.008	35	1.26	112	4.032
	Total	Total	63	2.268	84	3.024	91	3.276	112	4.032	350	12.6

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा
किसान भाईयों के लिए महत्वपूर्ण सूचना

राष्ट्रीय खादय सुरक्षा मिशन –दलहन स्कीम के अन्तर्गत हरियाणा के जिलों झज्जर, पलवल, रोहतक तथा सोनीपत (4 जिलों) में उन्नत तकनीक पर अरहर के प्रदर्शन प्लाट पर अनुदान किसानों को दिया जाना है । अनुदान लेने के इच्छुक किसान भाई कृषि तथा किसान कल्याण विभाग हरियाणा की वैबसाईट [www. agriharyana.gov.in](http://www.agriharyana.gov.in) में Agri schemes Governance link पर आनलाइन आवेदन दिनांक 25-11-2019 तक कर सकते हैं।

उन्नत तकनीक पर अरहर के प्रदर्शन प्लाट पर रू0 3600/ एकड़ सामान्य वर्ण /20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध हैं।

District Wise, Blcok wise Physical & Financial targets for NFSM- Pulses (LENTIL Demonstrations on improved technology) Assistance of Rs. 3600/ acre for 2019-20 (Area in Acre & Rs. In lakh)												
Sr No	Distt	Block	General Category		SC Category		Total of 30% women farmers		Total of 33% Small & Marginal farmer		Total Target	
			Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target	Phy. Target	Fin. Target
1	Jhajjar	Jhajjar	3	0.108	4	0.144	6	0.216	7	0.252	20	0.72
		Beri	3	0.108	4	0.144	6	0.216	7	0.252	20	0.72
		Salhavas	3	0.108	4	0.144	5	0.18	6	0.216	18	0.648
		Matanhail	3	0.108	4	0.144	5	0.18	6	0.216	18	0.648
		Bahadurgarh	3	0.108	4	0.144	5	0.18	6	0.216	18	0.648
	Total		15	0.54	20	0.72	27	0.972	32	1.152	94	3.384
2	Palwal	Palwal	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Hodal	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Hathin	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Hassanpur	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
	Total		12	0.432	16	0.576	16	0.576	20	0.72	64	2.304
3	Rohtak	Rohtak	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Sampla	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Kalanour	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Meham	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		lakhanmajra	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
	Total		15	0.54	20	0.72	20	0.72	25	0.9	80	2.88
4	Sonipat	Sonipat	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Rai	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Kharkhoda	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
		Gannaur	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576

	Mundlana	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
	Kathura	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
	Gohana	3	0.108	4	0.144	4	0.144	5	0.18	16	0.576
	Total	21	0.756	28	1.008	28	1.008	35	1.26	112	4.032
Total	Total	63	2.268	84	3.024	91	3.276	112	4.032	350	12.6

विशेष दिशा निर्देश:-

- 20 प्रतिशत लाभ अनुसूचित जाति/30 प्रतिशत महिला किसान/33 प्रतिशत लघु एवम सीमान्त किसानों के लिए उपलब्ध है।
- किसान **हरियाणा बीज विकास निगम** के विक्रय केन्द्र से बीज खरीदेगा व अन्य प्रयोग होने वाली कृषि सामग्री (बीज के अतिरिक्त) भूमि सुधार विकास [निगम/हरियाणा](#) बीज विकास निगम/सरकारी/अर्ध सरकारी/सहकारी समीति या अधिकृत विक्रेता से खरीद कर रसीद सम्बन्धित कृषि विकास अधिकारी के पास भेजेगा तथा कृषि विकास अधिकारी सत्यापन करके उचित माध्यम द्वारा उप कृषि निदेशक के कार्यालय में भेजेगा। इसके पश्चात उप कृषि निदेशक के कार्यालय द्वारा अनुदान राशि किसान के बैंक खाते में भेज दी जाएगी।
- स्कीम का लाभ लेने के लिए लाभार्थी के लिए निम्न शर्त अनिवार्य है:-
 1. प्रधान मंत्री फसल बीमा योजना में शामिल होना चाहिए।
 2. फसल अवशेष जलाने का दोषी न हो।
 3. मृदा स्वास्थ्य कार्ड धारक होना चाहिए।
 4. सूक्ष्म सिंचाई तकनीक अपनाने वाले को वरियता दी जाएगी।

अधिक जानकारी के लिए अपने क्षेत्र के कृषि विकास अधिकारी/खण्ड कृषि [अधिकारी/उपमण्डल](#) कृषि अधिकारी/उप कृषि निदेशक के कार्यालय से सम्पर्क करें।

कृषि तथा किसान कल्याण विभाग, हरियाणा